बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 17/5/15

संचिका सं0–17/ए 3–4/2015– 288 (17) /स्वा0/राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में निम्नांकित चिकित्सक को सहायक प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों तक के लिए अथवा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने अंकित विभाग एवं चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा के आधार पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है

सर्जरी (सहायक प्राध्यापक, संविदा)				
क्रम सं0	नाम	विभाग	आरक्षण कोटि	पदस्थापित चि0 महा0 का नाम
1	डा0 सुरेन्द्र कुमार	सर्जरी	पि0वर्ग	सर0चि0महा0, बेतिया।

2. संविदा पर नव नियुक्त चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से तुरत कार्यभार ग्रहण कर सूचित करें।

3. बाह्य चिकित्सक को विभागीय संकल्प संख्या–1267(17) दिनांक– 28.11.2013 में निहित प्रावधान/अनुदेश के अनुसार संविदा आधारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा, मानदेय की निकासी एवं भुगतान सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग से प्राप्त आवंटन के विशेष अदायगी मद से करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।

4. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक को जो वेतन एवं भत्ता आदि पूर्व से प्राप्त हो रही है, वही वेतन एवं भत्ता आदि संविदा पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ की जाएगी।

5. नियुक्ति संबंधी शर्तें :–

(क) समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जायेगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय एक सौ रूपये के नन जूडिसीयल/एडहेसिव स्टाम्प पर सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे तथा योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–17/ए 3–4/2015 –288 (17) **पटना, दिनांक :–** 17/5/15

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री शर्मा)/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा–17) स्वास्थ्य विभाग /प्रशाखा पदाधिकारी–1, 2, 7, 9 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।